**न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर**

**अग्रिम जमानत संख्या–343/2026**
**(भैरवस्थान थाना कांड संख्या–52/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)**

**बिहार सरकार बनाम विपुल कुमार**

| दिनांक | आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित | अभियुक्ति |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | आवेदक अभियुक्त **विपुल कुमार**, उम्र–28 वर्ष, पिता–विमल राय, सा0–नरहर सराय, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर मधुबनी की ओर से भैरवस्थान थाना कांड संख्या–52/2026 (अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 15.04.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बालभद्र झा द्वारा आज प्रचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है।<br>उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना।<br>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है तथा उनका इस कांड के तीन अन्य आपराधिक इतिहास (जीतपुर थाना कांड सं0–236/2022, कजरा थाना कांड सं0–75/2021, 08/2021) है जिसमें से दो वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। आवेदक को इस वाद में पुरानी दुश्मनी एवं गांव की गंदी राजनीति के तहत इस वाद में झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा इस कांड मे जप्त किये गये शराब से आवेदक का कोई सरोकार नहीं है। याचिकाकर्ता का फरार होने एवं साक्ष्य से छेड़छाड़ किये जाने की कोई संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं।<br>विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि यह कांड घटनास्थल से जप्त पेट्रोलियम टैंकर निबंधन सं0–बीआर09एच4735 के स्वामी एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता उक्त पेट्रोलियम टैंकर के स्वामी है तथा उक्त टैंकर से कुल 1733.76 लीटर विभिन्न ब्रांड का विदेशी शराब एवं पेट्रोलियम टैंकर बरामद किया गया है। याचिककर्ता का इस कांड के अलावे तीन अन्य आपराधिक इतिहास है। वाद अनुसंधानरत है तथा बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है।<br>उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा 274, 275, 3(5) एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा–30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है।<br>प्राथमिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि यह कांड घटनास्थल से जप्त पेट्रोलियम टैंकर निबंधन सं0–बीआर09एच4735 के स्वामी एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 21 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता जप्त पेट्रोलियम टैंकर निबंधन सं0–बीआर09एच4735 के स्वामी है तथा दिनांक 25.03.2026 को समय करीब 23:30 बजे प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल एन0एच0 27 विदेश्वर कट के पास गुप्त सूचना मे बताए गए टैंकर पर निगरानी रखने लगे तो | |
| लगातार... | | |

उपस्थिति:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

**न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर**

**अग्रिम जमानत संख्या–343/2026**

**(भैरवस्थान थाना कांड संख्या–52/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)**

**बिहार सरकार बनाम विपुल कुमार**

| | | |
|---|---|---|
| **30.04.2026** | कुछ ही देर में उक्त टैंकर तेजी से विदेश्वर कट के तरफ मुड़कर उजान के तरफ जाते दिखा जिसको रोकने का प्रयास किया परन्तु टैंकर चालक नहीं रुका और तेजी टैंकर भगाने लगा। टैंकर को खदेरकर अभिरक्षा मे लिया गया परन्तु टैंकर चालक एवं उसमें बैठे व्यक्ति भागने में सफल रहे। उक्त लाल–ब्लू–उजला रंग के 06 चक्का टैंकर निबंधन सं0–बीआर09एच4735 के केबिन और लोरी में बने दो खाचा से विभिन्न ब्रांड का कुल 1733.76 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 31 एवं आवेदक के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे तीन अन्य आपराधिक इतिहास (जीतपुर थाना कांड सं0–236/2022, कजरा थाना कांड सं0–75/2021, 08/2021) है जिसमें से दो वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन तथा याचिकाकर्ता के नाम से निबंधित टैंकर से भारी मात्रा मे शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के इस कांड मे संलिप्तता एवं उनके द्वारा अपने टैंकर का उपयोग शराब के परिवहन एवं तस्करी मे किया जाना परिलक्षित होता है।<br><br>उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम, आवेदक के आपराधिक इतिहास तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **विपुल कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है।<br><br>लेखापित<br>Nayan Kumar 30.04.26<br>(श्री नयन कुमार)<br>विशेष न्यायाधीश, उत्पाद अधिनियम, झंझारपुर | |

उपस्थित:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner